दिल्ली विधान सभा

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

प्राक्कलन समिति

(द्वितीय प्रतिवेदन)

COMMITTEE ON ESTIMATES

(Second Report)

(PRESENTED ON 25-3-1998)

पुराना सचिवालय

दिल्ली

Old Secretariat

Delhi

दिल्ली विधान सभा

प्राक्कलन समिति

(द्वितीय प्रतिवेदन)

वि ष य - सू ची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	
2.	प्रस्तावना	
3.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्राक्कलनों एवं कार्य-प्रणाली की जांच	
4.	टिप्पणियां/सिफारिशें	

....

2· समिति का गठन

1·	श्री पूरण चन्द योगी	सभापति
2·	श्री नरेश गौड़	सदस्य
3·	श्री बलबीर सिंह	सदस्य
4·	श्री मोती लाल सोढ़ी	सदस्य
5·	श्री इन्दर राज सिंह	सदस्य
6·	श्रीमती ताजदार बाबर	सदस्य
7·	श्री जितेन्द्र कुमार "कालू भैया"	सदस्य

सचिवालय

1·	श्री पी·एन· गुप्ता	सचिव
2·	श्री एस·के· शर्मा	विशेष सचिव
3·	श्री के·एल· कोहली	समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं पूरण चन्द योगी, प्राक्कलन समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ । वर्तमान प्राक्कलन समिति (1997-98) का गठन 21 मार्च, 1997 को हुआ था । 6 जून, 1997 को सम्पन्न अपनी पहली बैठक में, जिसमें समिति की उपस्थिति शत-प्रतिशत थी, समिति ने सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग के अनुमानित व्ययों की जाँच करने का निर्णय लिया ।

समिति की कार्य-प्रणाली की एक विशेष बात यह थी कि इस समिति ने बाढ़ नियन्त्रण विभाग के प्राक्कलनों (अनुमानित व्ययों) और कार्य-प्रणाली की विस्तृत एवं सुसंगत जाँच करने की दृष्टि से एक से अधिक अवसरों पर विभाग की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का कार्य-स्थल पर एक से अधिक अवसरों पर जाकर निरीक्षण किया । इन निरीक्षणों से समिति को उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में वास्तविक स्थितियों का आकलन करने में सहायता मिली ।

यह प्रतिवेदन, दो कार्य स्थलों के निरीक्षण सहित समिति की सात बैठकों में विभाग के कार्यकलापों की जाँच और आकलन के आधार पर तैयार किया गया है ।

इस प्रतिवेदन पर समिति ने 16 मार्च, 1998 को सम्पन्न अपनी बैठक में विचार किया और पारित किया ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो योगदान दिया, समिति उसकी सराहना एवं प्रशंसा करती है ।

पूरन चन्द योगी।

पूरण चन्द योगी

अध्यक्ष

दिनांकः ....मार्च, 1998....

प्राक्कलन समिति

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग की जाँच पर प्रतिवेदन

दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग के अनुमानित व्ययों और कार्यप्रणाली की जाँच करने की दृष्टि से विधान सभा सचिवालय द्वारा विभाग से उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित आवश्यक सूचना मांगी गई । इस सूचना को प्राप्त करने पर विधान सभा सचिवालय द्वारा एक विस्तृत प्रश्नावली (कृपया परिशिष्ट -1 देखें) तैयार की गई और उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । समिति ने 6 जून,1997 को हुई अपनी बैठक में इस प्रश्नावली को अनुमोदित किया और यह इच्छा व्यक्त की कि इस प्रश्नावली को उत्तर देने के लिए विभाग को भेजा जाए । बैठक में प्रश्नावली की एक-एक प्रति सचिव (राजस्व) और विकास आयुक्त को भी दी गई ।

इसी बैठक में समिति द्वारा मानसून आने से पूर्व नालों की सफाई का निरीक्षण करने की दृष्टि से अगले ही दिन यानी 7 जून,1997 को शाहदरा क्षेत्र में नाला संख्या-1 के स्थल का दौरा करने का एक अन्य निर्णय भी लिया गया ।

नाला संख्या-1 का पहला स्थलीय निरीक्षण

समिति ने 7 जून,1997 को शाहदरा क्षेत्र में नाला संख्या-1 का निरीक्षण किया । नाले की सफाई का कार्य प्रगति पर था और उसे मजदूरों द्वारा कराया जा रहा था । पूछताछ करने पर यह पता चला कि इस कार्य के लिए 1 जून,1997 को ही निविदा को मंजूरी दी गई थी । समिति को यह सूचित किया गया कि बरसात के दौरान नाले का पानी बाहर निकालने के लिए 32 हॉर्स पॉवर के 4 पम्पों का इस्तेमाल किया जाता है । नाले से निकाले गए मलवे के भारी ढ़ेर सड़क के किनारे और पटरियों पर पड़े हुए थे । कई जगहरों पर ये ढ़ेर सड़क पर बिखरे पड़े थे, जिसके कारण न केवल सड़क की चौड़ाई ही कम हो गई थी बल्कि उसके कारण सुगम यातायात में भी रूकावट पैदा हो रही थी और सड़कों पर भारी भीड़ हो रही थी ।

पूछताछ करने पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मलबा हटाये जाने के बाद कम से कम 48 घण्टे तक उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद ही हटाया जाता है । तथापि वहाँ के स्थानीय निवासियों ने समिति को बताया

कि पटरियों और सड़क पर पड़े हुए मलबे के भारी ढ़ेरों को काफी लम्बे समय से हटाया नहीं गया है । इस पर समिति ने मलबे को साथ-साथ हटाने और ढोये जाने के संबंध में आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के लिए सचिव (राजस्व) को निर्देश दिया ।

समिति का विचार था कि कार्य को गति देने की दृष्टि से इस स्थल पर मलबे को हटाये जाने का कार्य मशीनों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि यह कार्य वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व सम्पन्न हो सके ।

द्वितीय पड़ाव

समिति के निरीक्षण का दूसरा पड़ाव यू॰पी॰ गेस्ट हाउस के सामने स्थित बलबीर नगर था । वहाँ नाले से मलबा हटाये जाने का कार्य नहीं किया जा रहा था । पम्पों को नहीं लगाया गया था । समिति ने विभागीय अधिकारियों को 15 जून से पहले पम्पों को लगाने का निर्देश दिया । इस स्थान पर मुख्य नाले से एक छोटा उप-नाला (संख्या-52) जुड़ता है । नाले की सफाई न किये जाने का मुख्य कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा एक ब्रिज का निर्माण बताया गया । समिति ने इस स्थान पर रूकावट को दूर करने की दृष्टि से पुल को चौड़ा करने का निर्देश दिया ताकि नाले का पानी बिना रोक-टोक के बह सके ।

तृतीय पड़ाव

समिति के दौरे का तीसरा पड़ाव श्मशान घाट पुल (प्वाइंट 9300 आरडी) था । इस स्थान पर नाले का पानी रूका हुआ था । हालांकि इस स्थान पर गन्दगी निकालने वाली एक मशीन चलते हुए देखी जा सकती थी लेकिन समिति ने इस तरीके से कार्य किये जाने और विभाग द्वारा जिस गति से कार्य किया जा रहा था, उस पर अत्यन्त निराशा जाहिर की और विभागीय अधिकारियों को तुरन्त मलबा हटाने का प्रबन्ध करने का निर्देश दिया ।

समिति ने विभागीय कर्मचारियों को इस बात से भी अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्रवाई की गई है, इसे स्वयं देखने के लिए समिति आगे आने वाले कुछ दिनों में दोबारा आकस्मिक दौरा करेगी । इस दौरे के दौरान समिति ने

दिल्ली नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी को नाले में कूड़ा-करकट और मलबा फेंकते हुए देखा । उस व्यक्ति को पकड़ा गया और पूछताछ करने पर उसने बताया कि ऐसा वह इस क्षेत्र के सफाई निरीक्षक के निर्देशानुसार कर रहा था । समिति ने संबंधित सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई किये जाने हेतु सचिवालय को आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखने का निदेश दिया और इच्छा व्यक्त की कि आयुक्त इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में समिति को भी अवगत करायें ।

चौथा पड़ाव

समिति के दौरे का अगला पड़ाव कर्दम पुरी था, जहाँ पर एक नये ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था और पूरे नाले का बहाव गन्दगी के कारण रूका हुआ था समिति ने सचिव (राजस्व) को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि ठेकेदार (मैसर्स ई·आर·कन्स्ट्रक्शन) मलबे और मिट्टी को चार दिनों के अन्दर हटवा दें । समिति ने इस बात पर चिन्ता जाहिर की कि अगर यह कार्य तुरन्त नहीं किया गया और यदि मानसून का आगमन हो गया तो नाले के पानी में गन्दगी से रूकावट पैदा होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों में नाले का पानी भर जायेगा ।

समिति ने नाले के आस-पास की बस्तियों के लोगों के इस स्थान तक सुगमतापूर्वक पहुँचने की दृष्टि से एक अस्थायी सड़क बनाने का निर्देश भी ठेकेदार को दिया ।

पाँचवा पड़ाव

तत्पश्चात् समिति ने वजीर पुर के मोड़ पर लोनी रोड पर स्थित नाले का निरीक्षण किया । इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर था और मशीनों की सहायता से किया जा रहा था । समिति ने इस कार्य पर संतोष व्यक्त किया ।

छठा पड़ाव

समिति के दौरे का अन्तिम पड़ाव सीलम पुर गाँव में था । यहाँ नाला पूर्णतया रूका हुआ था । जब पूछा गया तो विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चूंकि इस स्थान पर एक सड़क और एक ब्रिज का निर्माण होना है, अतः यहाँ से मलबा हटाने की कोई

आवश्यकता नहीं है । किन्तु बाद में विभागीय अधिकारियों ने अपनी बात बदलते हुए बताया कि इस कार्य के लिए निविदाएं बहुत पहले ही दी जा चुकी हैं । वहाँ के स्थानीय निवासियों से यह पता चला कि इस स्थान पर नाले की सफाई कई वर्षों से नहीं की गई है । इस बात पर अफसोस जाहिर करते हुए समिति ने निदेश दिया कि नाले की सफाई के कार्यादेश (वर्क-ऑर्डर) देकर यह कार्य तुरन्त शुरू कराया जाना चाहिए और इस कार्यादेश पर जो धनराशि खर्च हो, उसे उचित रूप से उस ठेकेदार की निविदा धनराशि से काटा जाना चाहिए जिसकी निविदा को स्वीकार किया गया हो । विभागीय अधिकारियों ने 3/4 दिनों में मलबा हटाने का कार्य आरम्भ करने का आश्वासन दिया ।

नाला संख्या-1 का द्वितीय स्थलीय निरीक्षण

नाला संख्या-1 का द्वितीय स्थलीय निरीक्षण 21 जून,1997 को समिति द्वारा किया गया ।

पहला पड़ाव

मलबे के ढेर, जो कि पहले सड़क पर पड़े हुए थे, अब हटा दिये गये थे पूछताछ करने पर वहाँ के स्थानीय निवासियों से पता चला कि मलबा पिछली रात ही हटाया गया था । पटरी और सड़क को साफ कर दिया गया था । इस स्थान पर नाले में गन्दगी से जितनी भी रूकावट थी, वह सब साफ कर दी गई थी और पानी का प्रवाह निर्बाध था । यद्यपि एस·डी·एम· (शाहदरा) के कार्यालय के पास ब्रिज से मलबा नहीं हटाया गया था, अतः वहाँ पानी का बहाव निर्बाध रूप से नहीं हो रहा था इस स्थान पर पम्पों के जरिये पानी निकालने का कार्य किया जा रहा था ।

तत्पश्चात् समिति ने लोनी रोड-वजीरावाद के मोड़ का निरीक्षण किया और मशीन को चलते हुए पाया । इस स्थान पर गन्दगी से जो अवरोध उत्पन्न हुआ था, उसे हटा दिया गया था । परन्तु हटाये गये मलबे के दोबारा नाले में बह जाने और सिवार (जंगली घास-फूस) के उगने के कारण पानी बिना रूकावट के नहीं बह रहा था । सभापति महोदय ने इस तरह से कार्य किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और यह

निदेश दिया कि नाले की चारदीवारी की दीवार के साथ-साथ जो जंगली घास-फूस उग आई है, उसे तुरन्त हटाया जाये । नाले से निकाले गए मलबे के भारी ढेर सड़क पर पड़े हुए देखे जा सकते थे । समिति मलबे की सफाई कार्य से संतुष्ट नहीं थी अतः उसने मलबे के कुछ हिस्से को चन्द्र नगर और हर्ष विहार ले जाने का निदेश दिया । सचिव (राजस्व) ने अभियन्ताओं को इस सम्बन्ध में जो भी कार्य किये जाने की आवश्यकता हो, उसे तुरन्त पूरा करने का निर्देश जारी किया । समिति ने विभागीय स्टाफ को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नाले के अन्दर मलबा दोबारा बह कर न जाये और नाले को चौड़ा करने हेतु तुरन्त उसके दोनों ओर सुडौल किनाने बनाने का भी मौके पर ही निर्देश दिया। सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग में सेवा नियन्त्रण कक्ष तुरन्त स्थापित करने तथा रविवार सहित सारे सप्ताह पम्प/ड्रैगलीन मशीनें प्रातः 7·00 बजे से सायं 7·00 बजे तक चलाने का निर्देश भी समिति ने विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया ।

तीसरा पड़ाव

समिति के निरीक्षण का तीसरा पड़ाव कर्दम पुरी था । इस स्थान पर ठेकेदार द्वारा ब्रिज के निर्माण का कार्य चल रहा था जिसने मलबे द्वारा उत्पन्न अवरोधों को भी हटवा दिया था । समिति ने इस स्थानीय ठेकेदार, मैसर्स ई·आर· कंस्ट्रक्शनस द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की । हालांकि समिति ने पाया कि अभी भी वहाँ के स्थानीय निवासियों /दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा नाले में कूड़ा फेंका जा रहा था । समिति ने सचिव (राजस्व) को सुझाव दिया कि वे इस क्षेत्र के सफाई निरीक्षक के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दायर करने के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का प्रबन्ध करें ।

चौथा पड़ाव

समिति का चौथा पड़ाव स्थल यू·पी· गेस्ट हाउस के सामने स्थित बलबीर नगर था । लोक निर्माण विभाग ने अवरोधों को नहीं हटाया था और ब्रिज का निर्माण निरन्तर चल रहा था जिसके कारण नाले की चौड़ाई और कम होती जा रही थी । वहां पर पानी का बहाव निर्बाध नहीं था । जैसा कि समिति ने अपने पूर्व दौरे पर निदेश

दिया था, उसके अनुसार तीन पम्पों को लगा दिया गया था । समिति को बताया गया कि चूंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा उसका मलबा नहीं हटाया गया था, इसलिए दिल्ली नगर निगम द्वारा साफ किया गया जी॰टी॰ रोड का नाला (नाला सं॰-52) भर गया था । समिति ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा एक नाले का निर्माण किया जा रहा था जिसके कारण कुछ मिट्टी नाले में गिर गई थी और नाले के पानी का स्वच्छन्द बहाव रूक गया था । समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि सचिव (लोक निर्माण विभाग को एक पत्र भेजकर यह कहा जाये कि वे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि नाले में मिट्टी बिल्कुल न गिरे और यदि मिट्टी गिर भी गई है तो उसे वहां से साफ कर दिया जाये । साथ ही उन्हें नाले में पानी के स्वच्छन्द बहाव का आश्वासन भी देना चाहिए । यदि आवश्यकता पड़े तो वे इस बात पर भी विचार करें कि वर्षा ऋतु समाप्त होने तक ब्रिज के निर्माण कार्य को भी रोक दिया जाये ।

पाँचवां पड़ाव

सीलमपुर से गुजरते हुए समिति ने यह पाया कि नाले के ढलाव के पीछे की एक दीवार टूट गयी थी और सफाई कर्मचारी कूड़ा-करकट नाले में फेंक रहे थे । समिति ने निर्देश दिया कि इस कूड़े के ढेर की फोटो खींची जाएं और स्थानीय सफाई निरीक्षक /कर्मचारियों के नाम से उनके खिलाफ प्रथम सूचना रपट दर्ज कराई जाये और इसको सचिव (राजस्व) और विधान सभा सचिवालय को अधिक से अधिक सोमवार तक भेज दिया जाये। सचिव (राजस्व) ने संबंधित सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया ।

छठा पड़ाव

समिति के निरीक्षण का अगला पड़ाव सीलमपुर गांव था । स्थानीय कनिष्ठ अभियन्ता ने पूछे जाने पर सूचित किया कि मलबा हटाने का कार्य 10-12 दिनों से शुरू हो चुका है । हालांकि जब पूछताछ की गई तो स्थानीय निवासियों ने बताया कि

यह कार्य समिति के दौरे से एक दिन पहले ही प्रारंभ हुआ था । अधीक्षक अभियन्ता (सुपरिटेंडिंग इंजीनियर) ने समिति को सूचना दी कि इस कार्य के आर्डर के लिए तीन लाख रुपये दिये जा चुके हैं । समिति ने यह निर्देश दिया कि नाले से हटाये गये मलबे के ढेरों को तुरन्त वहां से हटा दिया जाये । समिति ने यह भी देखा कि नाले के एक तरफ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था । सचिव (राजस्व) ने कर्मचारियों को निदेश दिया कि सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग द्वारा एक छोटा सा कूड़ाघर बनाया जाये और उसे इस्तेमाल के लिए दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया जाए ।

नालों की सफाई

28 जुलाई, 1997 को संपन्न अपनी बैठक में शाहदरा क्षेत्र में नाला संख्या-1 के निरीक्षण के संदर्भ में समिति ने यह कहा कि उस क्षेत्र में हो रहे सफाई के कार्यों को देखकर यही लगता है कि ये कार्य जून के महीने में ही शुरू किए गए हैं । इस तरह यह कार्य वर्षा ऋतु के आने पर ही आरंभ किया गया है । इस पर असंतोष जाहिर करते हुए समिति ने यह निदेश दिया कि बड़े और छोटे नालों की सफाई के लिए समय पर कदम उठाये जाने चाहिए ताकि वर्षा ऋतु में इन नालों का पानी अपने स्तर से ऊपर न बह सके । समिति का मत था कि ठेकेदारों को ये कार्य मार्च के महीने में ही सौंपे दिया जाना चाहिए था । ताकि वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व ही ये कार्य पूर्ण हो जाते विभागीय प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कि इन कार्यों को कराये जाने में कुछ विलंब तो हुआ था परन्तु उन्होंने यह भी बताया कि इसका मुख्य कारण मुख्य अभियन्ता के पद का न भरा जाना भी था । कनिष्ठ अभियंता भी कुछ समय के लिए हड़ताल पर गए हुए थे । इसके बावजूद भी विभाग ने मुख्य नाले में पानी के अधिक न बहने को सुनिश्चित करने के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाये थे। समिति ने सलाह दी कि भविष्य में किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इन कार्यों को देखा जाना चाहिए और ठेकेदारों को यह कार्य समय पर दिया जाना चाहिए ।

समिति को यह सूचित किया गया कि वर्षा ऋतु के दौरान पानी का जो स्राव बढ़ता है, वह या तो आन्तरिक जल निकासी व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होने या फिर मुख्य नाले से पानी के उल्टा बहने के कारण बढ़ता है । मुख्य नाले से पानी के

उल्टे बहाव को रोकने के लिए प्रत्येक निकास पर बाढ़ नियन्त्रण हेतु दरवाजे बनाये गये हैं । जब कभी भी यमुना नदी के पानी का स्तर ऊँचा होने के कारण पानी के उल्टा बहने की आशंका होती है तो बाढ़ को रोकने के लिए बने इन दारों को पानी के उल्टे बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है ।

समिति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में विभिन्न नालों की सफाई हेतु प्रत्येक वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होते हैं । यह भी देखा गया है कि ये कार्य अप्रैल के महीने से पहले नहीं सौंपे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सफाई का कार्य कभी भी वर्षा ऋतु के आने से पहले समाप्त नहीं होता है । परन्तु ठेकेदारों को इसका भुगतान पहले ही कर दिया जाता है । समिति ने यह निर्देश दिया कि इस कार्य पर निरंतर निगरानी रखने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को लगाया जाना चाहिए ।

कार्य का आदेश (वर्क-ऑर्डर) देने की प्रथा

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग के अनुमानित व्ययों एवं उसकी कार्य प्रणाली की जाँच करते हुए समिति की जानकारी में यह तथ्य आया कि किसी कार्य को अत्यावश्यक प्रकृति का मनगढन्त आधार देकर उचित रूप से निविदाओं को आमंत्रित किए बिना ही नियमित तौर पर कार्य का आर्डर देने के आधार पर करोड़ों रुपये का कार्य निष्पादित किया जाता है । समिति का मत था कि यह केवल एक अपवाद होने के बजाय एक आम सा नियम ही बन चुका है । नियमित और रोजमर्रा के कार्यों के मामलों में भी उन्हें "अत्यावश्यक प्रकृति" का बताकर आर्डर देने की प्रवृत्ति सी बन गई है ।

कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि चूंकि इस प्रक्रिया में जोड़-तोड़ करने की आशंका बनी रहती है, अतः कार्यादेश (वर्क-ऑर्डर) दिये जाने की इस प्रणाली को पूर्णतया खत्म कर दिया जाना चाहिए । यद्यपि सभी का विचार यह था कि कार्य के लिए ऑर्डर देने की इस प्रणाली को जारी तो रहने दिया जाए, किन्तु इसका प्रयोग केवल वास्तविक और अत्यावश्यक मामलों में ही किया जाए तो वह ज्यादा उचित होगा।

समिति ने निर्देश दिया कि बाढ़ नियन्त्रण विभाग विशेषकर 1997-98 और सितम्बर, 1997 केसहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यादेश दिये जाने की इस प्रणाली की स्थिति का विवरण दे और साथ ही प्रत्येक कार्यादेश दिये जाने पर व्यय की गई धनराशि का भी ब्यौरा दे ।

सूचना प्राप्त करने व उसका पूर्ण विवरण पढ़ने के पश्चात् समिति 4 नवम्बर, 1997 को सम्पन्न अपनी बैठक में, इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कार्यादेश दिये जाने की संख्या बहुत अधिक थी और धनराशि भी बहुत व्यय की गई थी जो कि कोई स्वस्थ संकेत नहीं था ।

विभागीय प्रतिनिधियों ने, यह पूछे जाने पर कि कुछ निश्चित ठेकेदारों को ही बार-बार कार्यादेश क्यों दिये जा रहे हैं, समिति को सूचित किया कि यह इसलिए हो सकता है कि ये ठेकेदार वहीं रहते हैं और कुछ विशेष सैक्टरों में ही कार्य करना पसन्द करते हैं ।

विभागीय प्रतिनिधियों ने समिति को यह भी जानकारी दी कि वे कार्यादेश दिये जाने के मामले में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । अपने इस दावे के समर्थन में विभागीय प्रतिनिधियों ने कुछ आँकड़े प्रस्तुत किये और कहा कि 1994-95 में कार्य के लिए 753 ऑर्डर दिये गये थे । 1995-96 में इस संख्या को 500 तक नीचे लाया गया और फिर 1996-97 में इस संख्या को 354 तक नीचे लाया गया । समिति को जानकारी दी गयी कि वर्ष 1997-98 के दौरान इस तरह के मामले और कम कर दिये जायेंगे ।

दिल्ली नगर निगम के सफाई स्टॉफ द्वारा नाले में कूड़ा फेंका जाना

बाढ़ नियन्त्रण विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम का सफाई स्टॉफ नाला संख्या-1 में जान-बूझकर और रोज ही कूड़ा फेंकता है, जिसके परिणामस्वरूप नालों की सफाई करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है । हालांकि बाढ़ नियन्त्रण विभाग ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफ·आई·आर· भी दर्ज कराई थी और दिल्ली नगर निगम को पत्र भी लिखे थे, किन्तु इसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

सभापति ने यह बताया कि अपने निरीक्षण के दौरान, समिति ने यह देखा था कि दिल्ली नगर निगम के एक ढलाव के पिछवाड़े की बाउन्ड्री की दीवार को नाले की तरफ खोले जाने हेतु जान-बूझकर तोड़ा गया था ताकि नाले में कूड़े को आसानी से फेंका जा सके । समिति ने निर्देश दिया कि विधान सभा सचिवालय को आयुक्त, दिल्ली

नगर निगम को एक पत्र लिखना चाहिए जिसमें उनसे वास्तविक स्थिति के बारे में और दोषी पाए गए स्टॉफ के विरुद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा जाए ।

तदनुसार विधान सभा सचिवालय ने 5 अगस्त,1997 को आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को उनसे मामले की छानबीन करने और समिति की सूचना के लिए इस मामले में की गई कार्रवाई पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था ।

अपने उत्तर में दिल्ली नगर निगम ने कहा कि इस क्षेत्र के एक सहायक सफाई निरीक्षक और एक सफाई कर्मचारी को भविष्य में सावधान रहने के लिए चेतावनी दे दी गई है तथा नाला सं॰-1 से जुड़ने वाले क्षेत्रों में कार्यरत सफाई निरीक्षकों, सफाई मार्गदर्शकों और सफाई पर्यवेक्षकों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

तथापि दिल्ली नगर निगम ने बताया कि ढलाव की पिछली दीवार टूटी नहीं है ।

13 अक्तूबर,1997 को हुई अपनी बैठक में समिति ने दिल्ली नगर निगम के पत्र में लिखित विवरण को, जिसमें यह कहा गया था कि नाला सं॰-1 के ढलाव की बाउन्ड्री की दीवार टूटी नहीं थी, सत्य नहीं माना । समिति ने यह कहा कि उसने स्वयं और साथ ही साथ विभागीय प्रतिनिधियों और विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों ने समिति के निरीक्षण के दौरान यह देखा था कि उनमें से एक ढलाव की पिछली दीवार टूटी हुई थी और किसी कर्मचारी द्वारा कूड़े के ढेरों को नाला सं॰-1 में फेंका जा रहा था । इस मंडल के अतिरिक्त उपायुक्त को सचेत करते हुए समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि दिल्ली नगर निगम द्वारा इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए :-

(1) दिल्ली नगर निगम को स्पष्ट करते हुए पुनः उत्तर देना चाहिए कि ढलाव की पिछली दीवार टूटी हुई है और अब उसकी मरम्मत करा दी गई है ।

(2) दिल्ली नगर निगम द्वारा नाले में कूड़ा फेंकने के लिए पाए गए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा भेजा जाना चाहिए ।

(3) नाले पर निरन्तर निगरानी रखने व उसकी जाँच-पड़ताल की जानी चाहिए ताकि न तो दिल्ली नगर निगम और न ही कोई अन्य अभिकरण नाले में कूड़ा न फेंक सके ।

बाद में, 4 नवम्बर,1997 को हुई बैठक में ए.डी.सी. (शाहदरा क्षेत्र) ने समिति को यह सूचित किया कि सचिवालय को भेजे गए एक और पत्र में उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि नाले के ढलावों में से एक ढलाव टूटा हुआ था और उसकी बाद में मरम्मत करा ली गई थी । समिति द्वारा मुख्य नाले में कूड़ा डालते हुए पाए गए स्टॉफ को मीमो जारी कर दिये गये हैं और एक सहायक सफाई निरीक्षक और सफाई कर्मचारी के मामले को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक (सतर्कता) को भेज दिया गया है । दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों ने समिति को यह भी जानकारी दी कि फील्ड स्टॉफ को नाले में कूड़ा न फेंकने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि दिल्ली नगर निगम को उस क्षेत्र में कार्य कर रहे अपने सारे फील्ड स्टॉफ को दोबारा ये लिखित अनुदेश देने चाहिए कि किसी भी हालत में कूड़ा नाले में नहीं डाला जाना चाहिए और यदि कोई इसका दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों ने समिति से ऐसा ही करने के लिए वायदा किया ।

समिति की सिफारिशें/टिप्पणी:

समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(1) विभाग द्वारा कार्यादेश देने के आधार पर निष्पादित किये गये कामों की प्रथा को प्रभावी ढंग से खत्म किया जाना चाहिए ।

(2) जिन कार्यों में अत्यधिक धनराशि लगनी होती है, उन्हें सामान्य तौर पर कार्यादेश देने के आधार पर नहीं, बल्कि उचित निविदाएं आमंत्रित करके ही निष्पादित करवाया जाना चाहिए ।

(3) नालों की सफाई का कार्य ठेकेदारों को मार्च के महीने तक दे दिया जाना चाहिए ताकि वर्षा ऋतु के आने से पूर्व ही गन्दगी हटाए जाने का कार्य पूरा हो जाए ।

(4) सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग के पास नाले में कूड़ा फेंकने पर पाए गए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई सांविधिक शक्ति नहीं है।

सरकार यदि चाहे तो ऐसे दोषी व्यक्तियों का चालान करने की शक्ति इस विभाग को दे सकती है । यह शक्ति सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं को प्रदान की जाएगी । यह शक्ति दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी ।

.....

CONFIDENTIAL

DELHI VIDHAN SABHA

THE COMMITTEE ON ESTIMATES

(SECOND REPORT)

C O N T E N T S

Page No.

1. Composition of the Committee

2. Introduction

3. Examination of the estimates and functioning of Irrigation and Flood Control Department

4. Observations/Recommendations

2. COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	Shri Puran Chand Yogi	Chairman
2.	Shri Naresh Gaur	Member
3.	Shri Balbir Singh	Member
4.	Shri Moti Lal Sodhi	Member
5.	Shri Inder Raj Singh	Member
6.	Smt. Tajdar Babar	Member
7.	Shri Jitender Kumar 'Kalu Bhiaya'	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Special Secretary
3.	Shri K.L. Kohli	Committee Officer

INTRODUCTION

I, Puran Chand Yogi, Chairman of the Committee on Estimates, having been authorised by the Committee to present its report on their behalf, do present this report. The present Committee on Estimates (1997-98) was constituted on 21st March, 1997. At its first meeting held on 6th June, 1997 wherein the attendance was 100%, the Committee decided to take up for examination the estimates of Irrigation and Flood Control Department.

A unique feature of Committee's working was that with a view to ensure detailed and comprehensive examination of the estimates and functioning of the Flood Control Department, it undertook on-the-spot inspections of various projects and schemes of the department on more than one occasion. The inspections certainly helped the Committee to assess the ground level situation in proper perspective.

This report is the outcome of the Committee's examination of the estimates of the department conducted through its seven meetings, including two on-the-spot inspections.

The report was considered and adopted by the Committee at its meeting held on 16.3.1998.

The Committee is happy to place on record its appreciation of the services rendered by the officers of the Secretariat and other staff in preparing and finalising this report.

PURAN CHAND YOGI
CHAIRMAN,
COMMITTEE ON ESTIMATES

Dated March, 1998.

REPORT

ON THE EXAMINATION OF

IRRIGATION & FLOOD CONTROL DEPARTMENT

With a view to examine the estimates and working of the Irrigation & Flood Control Department of Delhi Government, the Assembly Secretariat called for necessary background information from the Department. On receipt of this information, the Assembly Seretariat prepared a comprehensive questionnaire (Appendix I) and placed it before the Committee. The Committee approved the questionnaire at its meeting held on 6th June, 1997 and desired that this be sent to the department for making available replies thereto. A copy of the questionnaire was also handed over to the Secretary (Revenue) and Development Commissioner in the meeting itself.

Another decision taken by the Committee at this meeting was to undertake field visit of drain No. I site in Shahdara area on the very next day viz. the 7th June, 1997 with a view to inspect the desilting of the drains before on-set of monsoon.

Ist Site Inspection of Drain NO.I

The Committee made an inspection of Drain No. 1 in Shahdara Area on 7th June, 1997. The work of desilting was in progress and it was being done manually. On enquiry it was revealed that the tender for the work was awarded only on June 1, 1997. The Committee was informed that four pumps of 32 H.P. are used to pump out the drain water during the monsoon season. Huge dumps of silt removed from the drain were lying by the roadside and on the pavement. At several places, these heaps were spilling on the road thereby shortening its width and obstructing smooth flow of traffic and causing traffic congestion.

On being asked, the departmental officers stated that after removal of silt, they let it get dried up for at least 48 hours and thereafter remove it. However, the Committee was told by local residents that the massive heaps of silt lying dumped on the pavements and the road, had not been removed for a long time. The

Committee asked the Secretary (Revenue) to ensure that the silt was simultaneously removed and transported.

The Committee was of the view that with a view to accelerating the pace of work, desilting at this point should be done by machines so that the work could be completed before the on set of monsoon.

Second Halt:

The Second Halt of the Committee was at Balbir Nagar opposite U.P. Guest House. The work of desilting was not being done. Pumps were not positioned. The Committee directed the departmental officers to position the pumps before 15th June. A small subsidiary drain (No. 52) joins the main drain at this point. The main cause for not desilting the drain was told to be the construction of a bridge by the PWD. The Committee instructed that the stoppage at this point should be widened so as to facilitate easy flow of the drain water.

Third Halt:

The Third Halt was at Shamshan Ghat Bridge (Point 9300 RD). The drain water at this point was stagnant. One excavator machine, however, could be seen working at the site. The Committee expressed utter disgust at the manner and the pace with which the work was being done by the department and instructed that desilting should commence immediately. The Committee apprised the officials that they would undertake again a surprise visit in the next few days tc see for themselves the further action taken in this regard. During the visit of this site, the Committee witnessed an MCD sweeper, throwing the waste and malba in the drain. The person was nabbed and on enquiry he stated that he was doing so as per instructions from his sanitary inspector of the area.

The Committee directed the Secretariat to write to the Commissioner, M.C.D. for taking action against the concerned sanitary inspector and desired that Commissioner should apprise the Committee of the action taken in this regard.

Fourth Halt:

The next halt of the Committee was at Kardam Puri point where a new bridge was under construction and the entire drain was blocked. The Committee directed Secretary (Revenue) to ensure that the contractor (M/s E.R. Construction) removes the silt and mud within four days. The Committee expressed concern that if this was not done immediately, and, in case, the monsoon sets in, the adjoining areas will be inundated with drain water due to blockage of its route.

The Contractor was also instructed to make a temporary approach road so as to enable the people of adjoining localities to have access to this place.

Fifth Halt:

The Committee thereafter inspected the drain at Loni Road-Wazirpur cut. The work in this area was in progress with the aid of machines. The Committee expressed satisfaction with the work.

Sixth Halt:

The final halt of the Committee was in the Seelampur Village. The drain here was completely blocked. When asked, the departmental officers expressed the view that there was no need for desilting since a road and a bridge are to come up at this place. The departmental officers thereafter amended their version and informed that tenders have already been made long back. On enquiry from the local residents it was revealed that desilting of the drain at this particular site had not been done for several years. Expressing displeasure, the Committee directed that the work of desilting should commence immediately by giving work order and the amount spent on work order be deducted suitably from the tender money of the contractor whose tender has been accepted. The departmental officer assured that the desilting work would accordingly be taken up in 3/4 days.

2nd Site Inspection of Drain No. 1

The 2nd site inspection of Drain No. 1 was done by the Committee on 21st June, 1997.

First Halt:

The heaps of silt which were earlier lying on the road, had been removed. On inquiry, the local residents revealed that it had been removed on previous night. The pavement and the road had been cleared off. The total blockage at this point had also been removed and the water was having smooth flow. However, since the desilting of the bridge near the SDM (Shahdara) Office was not done, there was no free flow of water. Pumps at this point were seen working.

Second Halt:

The Committee thereafter had a halt at the Loni Road-Wazirabad cut and found that the machine was working. The blockade at this point was removed but there was no free flow of water due to the removedsilt having been washed away again into the drain and on account of number of wild weed growth. The Chairman expressed displeasure at the manner in which the work was being done and directed that the weed growth within and along the boundary wall should be removed immediately. Huge dumps of silt removed from the drain could be seen lying on the road. The Committee was not happy with the manner of clearance of the silt and directed that the part of the removed silt be transported to Chandu Nagar and Harsh Vihar. Secretary (Rev.) instructed the Engineers to do the needful in this regard immediately. The Committee also asked the departmental staff to ensure that symetrical embankment on both sides should be done immediately to widen the drain as well so that the silt is not again washed away into the drain. The Committee further directed that emergency services/control room should be immediately set up in the I&FC Department and the

pumps/dragline machines should work from 7.00 in the morning till 7.00 in the evening throughout the week including Sundays.

Third Halt:

The Committee's next halt was at Kardampuri. The bridge under construction at this point had been made operational by the Contractor who had also removed the obstructions. The Committee commended the work done bythe local contractor M/s E.R. Constructions. However, it was observed by the Committee that waste was still being thrown into the drain by the local residents/sweepers of MCD. The Committee suggested to the Secretary (Rev.) to take stringent action against these people including filing of FIR with the Police against the area Sanitary Inspector.

Fourth Halt:

The Committee had its next halt at Balbir Nagar Opp. U.P. Guest House. The PWD had not cleared the obstruction and the construction of bidge continued, thereby further narrowing the width of the drain. There was no free flow of water. As directed by the Committee in its earlier visit, three pumps had been positioned. The Committee was apprised that G.T. Road drain (Drain No. 52) serviced by the MCD was blocked as it was not desilted by MCD. The Committee also took notice of the fact that a bridge was being constructed by the PWD. In the process of construcion, some silt fell in the drain and blocked the free flow of water. The Committee desired that a letter be sent to the Secretary (PWD) asking him to instruct the concerned PWD Officers to ensure that no silt falls in the drain and if silt has fallen the same be removed and they should ensure freeflow of water in the drain. If need be, they may consider about stopping the construction of the bridge till the monsoons are over.

Fifth Halt:

The Committee while passing through Seelampur

found that rear wall of one of the Dhalao had been broken and the sweepers there were throwing the waste and garbage into the drain. The Committee directed that photographs of the waste dump be taken and an FIR be lodged against the local Sanitary Inspector/Sweepers, by name and the same be immediately sent to the Secretary (Revenue) and to the Vidhan Sabha Sachivalaya latest by Monday. Secretary (Revenue) directed the concerned AE and JE for immediate compliance.

Sixth Halt:

The Committee's next halt was at the Seelampur Village. The local JE informed that the work of desilting had commenced 10-12 days ago. However, when inquired, the local residents informed that the work had only commenced a day before the visit. The Superintending Engineer informed the Committee that a work order worth Rs.3 lacs has been issued. The Committee directed that the heaps of silt removed from the drain be immediately transported. The Committee also observed that a lot of garbage was lying on the side of the drain. Secretary (Revenue) directed the officials that a small garbage dump be constructed by the I & F C Department and handed over to the MCD for use.

Desilting of Drains

In its meeting held on 28th July, 1997, theCommittee while referring to its inspections of Drain No. 1 in Shahdara, observed that the desilting works being carried out there, seemed to have been awarded only in the month of June. As such, the work commenced when the monsoon had already arrived. Expressing dissatisfaction, the Committee directed that timely steps for desilting of major and minor drains should be taken so that they do not overflow during the rainy season. The Committee also opined that these works should have been awarded to the contractors in the month of March so that the works could have been accomplished before the onset of the monsoon.

The departmental representatives admitted that there was some delay in awarding of these work but attributed it primarily tothe non-filling up of Chief Engineer's post. The junior engineers had also gone on strike for some time. In spite of this, the department took necessary steps to ensure that there was no backflow of water in the main drain. The Committee advised that in future a responsible officer should monitor these works and that the work should be entrusted to the contractors in time.

The Committee was informed that during the rainy season the water logging inreases either due to choking of internal drainage systemand backflow of water from main drain. To check the backflow of water from the main drain, there are flood gates at every outlet. Whenever there is any apprehension of backflow of water due torise of level of water of river Yamuna, these flood gates are used to check the backflow of water.

The Committee observed that for desilting of various drains in Delhi, about Rs.10 crores are spent every year. It has been noticed that these works are not awarded before the month of April as a result the work of desilting never gets completed before the onset of monsoon but payments are stated to be made to the contractors. The Committee directed that senior officer should be deputed to constantly monitor this work.

Practice of work orders:

While examining the estimates and the functioning of the Irrigation and Flood Control Department, it came to the notice of the Committee that works worth crores of rupees are regularly got executed on work order basis without inviting proper tenders on the flimsy ground that they are of emergent nature. This the Committee pointed out, seems to have become a general rule than an exception. A tendency has developed to place work order even in cases of works of regular and routine nature by describing them as that of "an emergent nature".

Some members expressed the view that work orders system be totally dispensed with in view of the inherent scope for manipulation in this procedure. The overall view, however, was that practice of work order may remain but it may be rarely and scarecely resorted to in real and emergent cases only.

The Committee directed that the Flood Control Department should supply the work order position particularly for the last three years including 1997-98 and upto September, 1997 as also the amount of each work order.

On receipt of the information and after going into its details, the Committee in its meeting held on 4th November, 1997 came to the conclusion that the number and the amount of the work orders was on very high side, which was not a very healthy sign.

When asked as to why certain contractors were being repeatedly given the work orders, the representatives informed the Committee that this could be because the contractors reside there and prefer to work in particular sectors only.

The Departmental representatives informed the Committee that they are trying to ensure reduction of number of work order cases. In support of their contention, the representatives spelt out certain figures stating that while in 1994-95 the number of work orders was 753, in 1995-96 it was brought down to 500 and again in 1996-97, the number was further brought down to 354. The Committee was assured that during the year 1997-98 the cases would be much less.

Throwing of garbage into the drain by MCD Sanitary Staff:

The representatives of the Flood Control Department informed the Committee that MCD sanitary staff deliberately and regularly throws garbage into the drain No.1, as a result the purpose of desilting the drains gets defeated to a large extent. Although the Flood Department had lodged an FIR against the erring persons and also written letters to MCD, yet no action seems to have been taken in this regard. The Chairman observed that during the course of its inspection, the Committee had observed that the backside boundary wall of one of the MCD Dalao had been deliberately broken to make an opening in the drain so that garbage could be easily disposed of into the drain. The Committee directed that Assembly Secretariat should write to Commissioner, MCD asking him to explainthe position and furnish the action taken report against the erring staff.

Accordingly, the Assembly Secretariat wrote to Commissioner, MCD on 5th August, 1997 asking him to look into the matter and furnish an action taken report in the matter for the information of the Committee.

In its reply, MCD wrote back to say that the concerned sanitary staff - an ASI and a safai Karamchari - of the area have been warned to be careful in future. The sanitary inspectors, sanitary guides and sanitary superintendets posted in the area adjoining Drain No.1, have also been issued necessary instructions in this regard.

The MCD, however, stated that the rear wall of the Dalao is not broken.

In its meeting held on 13th October, 1997, the Committee took exception to the contents of MCD's letter wherein it was stated that the boundary wall of dalao on Drain No.1 was not broken. The Committee observed that they themselves, as well as the departmental

representatives and officials of Assembly Secretariat had seen during the course of its inspection that the rear wall of one of the dalao broken and heaps of garbage being disposed of into the drainNo.1 by a safai karamchari. Cautioning the Addl.Deputy Commissioner of the Zone, the Committee desired the following action to be taken in the matter by the MCD:

i) MCD should send a fresh reply acknowledging that the rear wall of the dalao was broken and has now been got repaired.

ii) MCD should communicate the action taken against the erring employees for throwing garbage into the drain.

iii) Continuous surveillance and checking of the drain should be undertaken so that neither MCD nor any other agency throws garbage into the drain.

In the subsequent meeting held on 4th November, 1997, the ADC (Shahdara Zone) informed the Committee that in their fresh letter to the Secretariat, they have acknowledged that one of dalao was broken and the same was got repaired subsequently. The field staff spotted by the Committee dumping garbage in the main drain, have been issued memos and the case of one ASI and one safai karamchari have been passed on to Director (Vigilance) for initiating disciplinary action against them. The MCD representative also informed the Committee that necessary instructions have been issued to the field staff asking them to refrain from disposing of garbage in the drain.

The Committee desired that MCD should again issue written instructions to all its field staff working in that area that in no case garbage should be dumped into the drain and that any one found guilty, would be liable to strict action. The MCD representative promised the Committee to do so.

Recommendations/Observations of the Committee:

The Committee makes the following recommendations:

i) The practice of getting jobs executed on work-order basis should be strongly discouraged by the Department.

ii) Works involving huge sums of money should not generally be got executed through work-orders but proper tenders should be called for.

iii) The work of desilting of drains must be awarded to the contractors by March so that the desilting work gets completed before the onset of monsoon.

iv) The Irrigation & Flood Control Department does not have any statutory power to take action agaist persons found guilty of dumping garbage in the drain. The Government may consider conferring the power to challan the erring persons. This power may be conferred on Junior Engineers and Assistant Engineers of Irrigation & Flood Control Department. This power will be under the Delhi Municipal Corporation Act.